फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 146/2023 शीर्षक सविता व अन्य बनाम भूरसिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
17/10/2023	प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। पत्रावली बाद जांच पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने से इसमें आज ही सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें इस बाबत् मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया गया है। प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी संक्षिप्त बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम सांगावास– अ पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ राजसमन्द के पूर्व खाता संख्या 248 आराजी संख्या 994, 995, 996 जिसके नवीन खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 एवं पूर्व खाता संख्या 249 आराजी संख्या 990, 989, 993, 997, 1008, 1009, 1047, 1049, 1053, 1054, 1311, 1007, 1279, 1311, 991, 992 के नवीन खाता 209 आराजी संख्या 1072, 1071, 1074, 1078, 1089, 1090, 1128, 1130, 1134, 1135, 1416, 1088, 1395, 1416, 1073 कुल रकबा 18.10 बीघा भूमि प्रार्थीगणों के दादा तेजसिंह पिता गेनसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता किशनसिंह एवं भूरसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। प्रार्थीगण के पिता किशनसिंह पिता तेजसिंह ने अपने जीवन काल में कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लिया था परन्तु किसी कारण वश ऋण चुका नहीं पाये। ऋण नहीं चुका पाने से कहीं उनकी कृषि भूमि बैंक द्वारा कुर्क नहीं कर दिया जावे इस हेतु अपने भाई भूरसिंह के परामर्श के अनुसार भूरसिंह के नाम बैचान कर दिया। भूरसिंह ने किशनसिंह द्वारा ऋण नहीं चुका पाने व बैंक कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि को कुर्क हो जाने के डर का फायदा उठाकर इस शर्त पर कि किशनसिंह के समस्त कृषि भूमियां पुनः किशनसिंह अथवा उनके वारिसान के नाम विक्रय करा दुंगा यह विश्वास दिलाकर अप्रार्थी संख्या 01 भूरसिंह ने उक्त कृषि भूमियां अपने नाम पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हकत्याग से बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये बिना विक्रय करा दी थी। प्रार्थीगणों के पिता किशनसिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थीगणों द्वारा अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि पुनः प्रार्थीगणों के नाम विक्रय कर देने लिए कई बार कहा गया परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है एवं उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है एवं उक्त भूमि का विक्रय करने पर आमादा है यदि प्रार्थीगणों की उक्त भूमि का अप्रार्थी द्वारा खूर्द–बूर्द एवं बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगणों के हक एवं अधिकारों को भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर देवगढ़,जिला राजसमन्द	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 146/23 शीर्षक सविता व अन्य बनाम भूरसिंह व अन्य

दिनांक	कार्याही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
17/10/2023	पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगणों के पक्ष में होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सांगावास– अ पटवार हल्का सांगावास, तहसील देवगढ़ राजसमन्द के खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खाता संख्या 209 आराजी संख्या 1071, 1072, 1073, 1074, 1078, 1088, 1089 ,1090, 1385, 1416 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 451 आराजी संख्या 1134 1135 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें तथा रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखने के आगामी पेशी तारीख तक आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, देवगढ़ को पाबंद किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कोई दस्तावेज विक्रय/ बेचान/कोई हस्तान्तरण विलेख पंजीकृत नहीं करे एवं नामान्तरण नहीं खोला जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 03 की पालना करें। प्रार्थीगण हुक्म इम्तदाई के नोटिस मय नकल के पेश करें। पत्रावली दिनांक 10/11/2023 को पेश हो। सहायक कलेक्टर देवगढ़,जिला राजसमन्द 10/11/23 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ बाढ़ तामील अप्राप्त अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/1/24 ....को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़) 5/1/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/3/24 ....को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या　　　　　शीर्षक　　　　　बनाम

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	11/3/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07/05/24 ....को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)	
	07/05/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/6/24 ....को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)	
	26/06/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी सम्मन बाद तामील हो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दिनांक 23/07/2024 को पेश हो।	
	23/07/2024 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दिनांक 20/8/2024 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या　　　　　शीर्षक　　　　　बनाम

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	28/08/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/09/2024 को पेश हो।	
	25/09/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार 13/11/2024 ....को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)	
	13/11/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/12/2024 को पेश हो।	
	25/12/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07/01/25 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 156/2023 शीर्षक सविता व अन्य बनाम भूरसिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	17/01/25 पत्रावली मूलवाद के साथ आज पेश हुई। प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। जिससे प्रार्थना-पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बरान से कम की जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़,जिला-राजसमन्द	